

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज-दिनांक- जनवरी 10,2021

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 99 वाहनों का चालान, 21 वाहनों से कुल 22500/-रूपया शमन शुल्क वसूल किया गया शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 18 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए 290 भा0द0वि0 मे 19 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना श्यामदेउरवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1- गिरजा देवी पत्नी रामवृक्ष नि0 बेलासपुर नर्सरी थाना श्यामदेउरवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-07/21 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी । 2- अभियुक्ता रीचा देवी पत्नी धर्मेन्द्र निषाद नि0 बेलासपुर नर्सरी थाना श्यामदेउरवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-08/21 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1- दिनानाथ पुत्र मोती रामबदन नि0 चेतारा नर्सरी थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-20/21 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी । 2- रामसमुझ जायसवाल पुत्र केशव नि0 गाँधीनगर पुपरदेउरवा थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 07 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-22/21 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्ता पूजा साहनी पत्नी योगेन्द्र नि0 मैनहवा थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-06/21 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त संदीप कुमार पुत्र ओमप्रकाश नि0 वार्ड नं0 10 पचपेड़वा बलरामपुर उ0प्र0 के कब्जे से 12 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-09/20 धारा-60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

थाना श्यामदेउरवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1- कन्हैया पुत्र छोटेलाल नि0 पचमा थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-14/21 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी। 2- अभियुक्त मनोहर पुत्र भीखम नि0 पचमा थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-15/21 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी। 3- अभियुक्त भीम पुत्र रुदल नि0 पचमा थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-16/21 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

आर्म्स अक्ट के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही-

थाना ठूठीबारी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त एजाद खान उर्फ छोटे पुत्र पुत्र भगेलू नि0 मुडेरी पिपरा थाना बरदगवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 01 अदद नाजायद चाकू बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 04/21 धारा- 4/25 आर्म्स अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

***पशु क्रूरता अधिनियम मे की गयी कार्यवाही*-**

थाना बरगदवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1.राजकुमार पुत्र जगदीश 2. अकाश उर्फ संजय पुत्र जगदीश नि0गण कोहरगड्डी थाना परसामलिक जनपद महाराजगंज द्वारा 01 राशि गाय व 01 राशि बछड़ा को क्रूरता पुर्वक मारते – पीटते हुये ले जाने पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 05/21 धारा- 11 पशु क्रूरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

***कस्टम अधिनियम मे की गयी कार्यवाही*-**

थाना बरगदवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त नवी हसन पुत्र अबुबकर नि0 बदलबाग थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज के कब्जे से 35 ली0 अवैध डीजल बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- निल/21 धारा-3/11 कस्टम अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

***गुण्डा अधिनियम मे की गयी कार्यवाही*-**

थाना ठूठीबारी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1. कमलेश हरिजन पुत्र छोटेलाल 2. अनिल यादव पुत्र ध्रुव नि0गण लक्ष्मीपुर खुर्द 3. विनोद पुत्र मोतीचन्द चौहान 4. सूरज पुत्र रविन्द्र नि0 गडौरा बाजार थाना ठूठीबारी जनपद महाराजगंज को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- निल/21 धारा-3/4 गुण्डा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-15 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 08/09-1-2021 को विभिन्न अपराधों में कुल- 24 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।

